भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

***

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *176

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2015/9 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

आयकर के लंबित मामले

*176. **श्री नाना पटोले :**
श्री अनंतकुमार हेगड़े :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर-विवाद के विचारण अधीन मामलों और ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें अपीलें विभिन्न न्यायालयों के विचाराधीन हैं तथा मुकदमेबाजी में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ख) क्या सरकार द्वारा मामलों के शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाए गए हैं/उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके क्या परिणाम रहे तथा सरकार द्वारा कितनी धनराशि की वसूली की गई?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) से (ग) : सदन के पटल पर एक वक्तव्य रख दिया गया है।

******

आयकर के लंबित मामलों से संबंधित 31 जुलाई, 2015 को उत्तर दिए जाने हेतु लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या *176 के भाग (क) से (ग) तक के उत्तर में संदर्भित वक्तव्य

विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की संख्या जिनमें अपीलें आयकर अपीलीय अधिकरणों (आईटीएटी), उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन हैं तथा मुकदमेबाजी में धन राशि अंतर्ग्रस्त है, निम्नानुसार है:

	आयकर अपीलीय अधिकरण		उच्च न्यायालय		उच्चतम न्यायालय	
वित्त वर्ष	लंबित मामले	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रूपए में)	लंबित मामले	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रूपए में)	लंबित मामले	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रूपए में)
2012-13	31,972	1,25,92,702	31,741	23,04,195	6,001	2,59,926
2013-14	35,266	1,43,25,584	35,696	33,12,849	5,960	3,20,210
2014-15	37,506	1,45,53,472	34,281	37,68,398	5,661	4,65,448

मामलों के शीघ्र समाधान के लिए उठाए गए कदमों/किए गए उपायों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वैधानिक उपाय

- उन मामलों की, जिनका निर्णय आईटीएटी की एक सदस्यीय पीठ द्वारा किया जा सकता है , कुल आय की सीमा 5 लाख रूपए से बढ़ाकर 15 लाख रूपए कर दी गई है।
- ऐसे मामलों का कार्यक्षेत्र, जिनमें समाधान संबंधी आवेदन आयकर समाधान आयोग के समक्ष किया जा सकता है, बढ़ा दिया गया है।
- राजस्व द्वारा उसी निर्धारिती के मामले में वर्ष-दर-वर्ष उसी कानूनी प्रश्न पर बार-बार की जा रही अपीलों को रोकने के लिए धारा 158कक के प्रवेशन के द्वारा एक तंत्र उपलब्ध करवाया गया है।
- अग्रिम निर्णय के प्राधिकार का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया है ताकि निवासी करदाता उनकी एक निर्धारित सीमा से अधिक आयकर देनदारी के संबंध में अग्रिम निर्णय प्राप्त कर सकें।
- 2012 में लागू किए गए अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते का ढांचा रोल बैक प्रावधान के द्वारा सुदृढ़ किया गया है।

प्रशासनिक उपाय

- विभिन्न अदालतों के समक्ष अपील दायर करने के लिए धन संबंधी सीमा समय-समय पर बढ़ाई गई है। आयकर अपीलीय अधिकरण, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की वर्तमान सीमा क्रमश: 4 लाख रूपए, 10 लाख रूपए एवं 25 लाख रूपए है। इससे दायर की जाने वाली अपीलें कम हो गई हैं।

जारी....2/-

- सीबीडीटी ने क्षेत्रीय कार्यालयों को निदेश जारी किए हैं जिनमें स्थाई सलाहकारों की भूमिका एवं दायित्व, लंबित मुकदमों की मॉनीटरिंग तथा वह ढंग जिससे क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा सलाहकारों की सहायता की जानी चाहिए ताकि न्यायालयों के निर्देशों का सामयिक अनुपालन तथा अपीलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके, की रूपरेखा दी गई है।

- राष्ट्रीय न्यायिक संदर्भ प्रणाली (एनजेआरएस) को 19.03.2015 को सॉफ्ट लॉच किया गया है। यह आईटीएटी, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय के स्तर पर सभी प्रत्यक्ष कर अपीलों का वेब-आधारित कोष है। आशा की जाती है कि डाटाबेस क्षेत्रीय अधिकारियों को सदृश विषयों वाले मामलों की पहचान करने, ऐसे मामलों के एकत्रीकरण तथा उनके शीघ्र समाधान के लिए उनकी पैरवी करने योग्य बनाएगा।

- मुकदमेबाजी संबंधी प्रबंधन को सुधारने के लिए 4 महानगरों एवं 4 बड़े शहरों में सीआईटी (न्यायिक) के 8 पद सृजित किए गए हैं। उनकी भूमिका एवं दायित्व निर्धारित करने संबंधी अनुदेश भी जारी किए जा चुके हैं।

- सीबीडीटी का विधिक एवं अनुसंधान निदेशालय क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच परिचालन हेतु उन मदों की पहचान करता है जिनका अंतिम निर्णय हो चुका है ताकि सदृश मामलों का, जो विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं, शीघ्र निपटान हो सके।

- विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के साथ सहयोग के द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलों के तुरंत निपटान को सुविधाजनक बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय प्रकोष्ठ ("एससीसी") बनाया गया है।

उपरोक्त कदमों/उपायों से उच्चतम न्यायालय के समक्ष विभाग के मुकदमेबाजी संबंधी प्रबंधन में प्रणालीगत सुधार आता है। इकट्ठा करने के लिए मामलों की पहचान करने में दी गई सहायता के परिणामस्वरूप 2064 अपीलों को इकट्ठा किया गया है जिसमें उच्चतम न्यायालय में 16 मुद्दें अंतर्ग्रस्त हैं। इनमें से 03 मुद्दों पर जिनमें 920 मामले अंतर्ग्रस्त हैं, चालू वित्त वर्ष में फैसले सुनाए गए हैं।

ऐसे मामलों के समाधान से जो विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं, सरकार द्वारा वसूली गई राशि के संबंध में केन्द्रीय रूप से अलग से किसी डाटा का रखरखाव नहीं किया जाता।

*****